समाचार-प्रकाशनार्थ:-

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर आज से होगी तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 12 सितम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा 13 सितम्बर सोमवार से प्रारंभ की जायेगी साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर 13 सितम्बर सोमवार से प्रारंभ कर प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

विराट मेहरा को झोन प्रभारी दायित्व से हटाया
सौरभ काला को झोन 4 के प्रभारी का दायित्व सौंपा

रतलाम 12 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नगर निगम के झोन क्रमांक 4 के प्रभारी विराट मेहरा द्वारा कार्य मंे लापरवाही बरतने पर झोन प्रभारी के पद से हटाते हुए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक सौरभ काला को झोन क्रमांक 4 का प्रभारी नियुक्त किया।

खुले में गंदगी करने पर 16 व्यक्तियों पर जुर्माना
गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 12 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 12 सितम्बर को 16 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर गौरीशंकर माली शांति नगर पर 1000ए राठौर नमकीन अलकापुरी पर 100ए सक्कुबाईए तारूबाईए कमलाबाई राम मंदिरए संतोषबाईए सोनूबाईए फुलबाईए सज्जनमिल रोडए प्रेमए बंशीलालए विजयए सूरजबाईए अंकित मालवीय अलकापुरीए कमलाए तुलसीबाई सनसिटीए राठौरजी नौलाईपुरा पर 50.50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931ए श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932ए श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145ए श्री विराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षिन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से कीटनाषक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 12 सितम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार फॉगिंग मशीन प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05ः30 से 08ः00 बजे तक व शाम को 06ः00 से रात 10ः00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन
12 सितम्बर को 60 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 12 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 12 सितम्बर रविवार को 60 टन कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।
12 सितम्बर रविवार को डम्पर व टेªक्टर से 28575ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 20290ए काम्पेक्टर गीला 11930 किलो इस तरह कुल 60795 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

1128 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 12 सितम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे

संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10ए000६ ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2694 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 1395 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 1105 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 23 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10ए000६ का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10ए000६ का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20ए000६ का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 12 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019

संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 12 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया

ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 12 सितम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/12ण्09ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.